न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. ::: 136/2017

सरकार

बनाम

रामकुवार पुत्र श्योचन्द, जाति– जाट,
निवासी– सेहीकलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 21.02.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामकुवार पुत्र श्योचन्द, जाति–जाट, निवासी– सेहीकलां द्वारा रोही मौजा सेहीकलां की राजकीय भूमि ख.नं. 182 कुल रकबा 45.75 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.01 है0 भूमि पर दीवार बनाकर व तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। जवाब में गैर सायल रामकुमार की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस में दीवारी अपनी खातेदारी की सरहद में बनाना वर्णित किया गया है, साथ ही सीमाज्ञान हेतु निवेदन करते हुए लिखा है कि बाद सीमाज्ञान जरा सा भी अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रार्थी उसे अपने स्वयं के खर्चे से हटाने को तैयार है। इस पर पुनः मौका जांच हेतु भू.अ. नि. स्वामीसेही को लिखा गया। दिनांक 08.02.2018 को भू.अ.नि. स्वामीसेही द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार उक्त 0.01 है0 गै.मु. जोहड़ पर अतिक्रमी द्वारा तारबाड़ कर अतिक्रमण किया हुआ पाया, मौके पर कोई पुख्ता निर्माण नही होना रिपोर्ट में जाहिर किया है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 5 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़